बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः— **बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य हेतु ₹314,20,59,000.00 (तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।**

बिहार में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने, निवेशकों को सुविधा, आधुनिक बिहार की जानकारी देने एवं सहयोग प्रदान करने तथा बिहार के लोगों को बेहतर चिकित्सा हेतु रहने का स्थल उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से बिहार भवन, मुम्बई का निर्माण किया जाना है।

2. प्रस्तावित बहुमंजिले भवन में 03 मंजिला बेसमेन्ट, भूतल, मेजनाईन तल तथा इसके ऊपर 30 मंजिलों का निर्माण किया जाना है। भवन में सभी आधुनिक सुविधाएँ यथा—लिफ्ट, जनरेटर, विद्युत उपकेन्द्र, वातानुकूलन, सी0सी0टी0 कार्य, छत के उपर सौर ऊर्जा, एस0टी0पी0 / ई0टी0पी0 कार्य, अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्य आदि प्रावधानित हैं।

3. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹314,20,59,000.00 (तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 05.08.2025 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक—7507(भ) अनु0, दिनांक—11.08.2025 द्वारा प्रेषित है। बिहार भवन, मुम्बई का निर्मित क्षेत्रफल 310043.80 वर्गफीट होगा। राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025—26 में ₹96.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2026—27 में ₹100.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2027—28 में ₹100.00 करोड़ तथा 2028—29 में ₹24.2059 करोड़ का व्यय किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन की समय सीमा 30 माह होगी।

4. इस योजना का व्यय "मांग संख्या—03 के मुख्यशीर्ष—4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय—उपमुख्यशीर्ष—01—सरकारी रिहायसी भवन—लघु शीर्ष—700—अन्य आवास उपशीर्ष—0101—अन्य आवास—विपत्र कोड—**03—4216017000101** के विषयशीर्ष—53—मुख्य निर्माण कार्य—0101.53.01—मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा। प्रस्तावित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025—26, 2026—27, 2027—28 एवं 2028—29 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

5. बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य के योजना पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक—13.01.2026 की बैठक में मद संख्या—09 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके

आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹314,20,59,000.00 (तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–27/2025 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–27/2025 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–27/2025 726 (अ) पटना, दिनांक– 21/1/26

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरुपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/1/26
सरकार के सचिव